

संचिका संख्या- 7/लेखा/ वाहन /आ0प्र0प्रा0-01/2012
बिहार सरकार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)

D-ब्लॉक, 5वाँ तल, सरदार पटेल, पटना-800023

वाहन नीलामी हेतु निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के साथ सम्बद्ध 01 एम्बेस्डर वाहन की नीलामी "जहाँ है जैसा है" के आधार पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 01.02.2024 को पूर्वाह्न 11.30 बजे की जायेगी। उक्त तिथि को किसी कारणवश नीलामी नहीं होने के स्थिति में पुनः दिनांक 02.02.2023 को पूर्वाह्न 11.30 बजे किया जायेगा।
नीलामी हेतु वाहन कि विवरणी:-

क्र.सं.	वाहन निबंधन संख्या	वाहन का प्रकार	मॉडल वर्ष	चेचिस संख्या	इंजन संख्या	अद्यतन कर की स्थिति	मोटर यान निरीक्षण से प्राप्त न्यूनतम मूल्य निर्धारण	वाहन निरीक्षण स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BR01BF4725	Ambassador Car	2013	MA7AM20DBNU019813	3HNAN027635	12-04-2028	35,000/-	Sardar Patel Bhawan, Parking

विस्तृत जानकारी प्राधिकरण के वेबसाइट <http://www.bsDMA.org/tenders> पर देखा जा सकता है।

(मीनेन्द्र कुमार)
सचिव

वाहन नीलामी हेतु निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के साथ सम्बद्ध 01 एम्बेस्डर वाहन की नीलामी "जहाँ है जैसा है" के आधार पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 01.02.2024 को पूर्वा 11.30 बजे की जायेगी। उक्त तिथि को किसी कारणवश नीलामी नहीं होने के स्थिति में पुनः दिनांक 02.02.2023 को पूर्वा 11.30 बजे किया जायेगा।

नीलामी हेतु वाहन कि विवरणी:-

क्र.सं.	वाहन निबंधन संख्या	वाहन का प्रकार	मॉडल वर्ष	चेचिस संख्या	इंजन संख्या	अद्यतन कर की स्थिति	मोटर यान निरीक्षण से प्राप्त न्यूनतम मूल्य निर्धारण	वाहन निरीक्षण स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BR01BF4725	Ambassador Car	2013	MA7AM20DBNU019813	3HNAN027635	12-04-2028	35,000/-	Sardar Patel Bhawan, Parking

नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें:-

1. उक्त वाहनों की नीलामी "जहाँ है जैसा है" के आधार पर प्राधिकरण कार्यालय, पटना के द्वारा गठित नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी।
2. नीलामी में भाग लेने इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं।
3. उपरोक्त विवरणी के स्तम्भ 8 में अंकित राशि को वाहन का सुरक्षित मूल्य माना गया है। सुरक्षित मूल्य से कम को बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अनुलग्नक-A में अंकित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर जमा करना होगा।
5. नीलामी में भाग लेने हेतु वाहन के सुरक्षित मूल्य का 20 प्रतिशत (7000/- रूपया) अग्रधन के रूप में जमा करने के पश्चात ही नीलामी में भाग ले सकते हैं। अग्रधन जमा करने की समय सीमा नीलामी हेतु निर्धारित तिथि से 02 (दो) दिन पूर्व तक कार्यालय अवधि में ही जमा लिया जायेगा। अग्रधन SECRETARY, BSDMA के नाम से बैंक ड्रॉफ्ट जमा करना होगा। असफल बोली वाले व्यक्ति को अग्रधन राशि वापस कर दी जायेगी।
6. नीलामी के दौरान उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को दो दिन के अंदर बोली की राशि एक ही किश्त में बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में जमा करना होगा।
7. उच्चतम बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति द्वारा राशि एक मुश्त जमा करने में विफल होने की स्थिति में उनके अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी। इसके निर्णय हेतु अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
8. यह माना जाएगा कि भाग लेने वाले व्यक्ति के द्वारा नीलामी से पहले वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर लिया गया है। वाहन सौंप देने के उपरांत नीलामीकर्ता वाहन संबंधी किसी भी प्रकार के दोष अथवा शिकायत के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।